अपील / टीए / 5758 / 2021 / भरतपुर

खातेदार घोषित किया है । उक्त आराजी खसरा नम्बर 36 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा में से 18 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 37 रकबा 15 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण को दिनांक 16–10–1071 को आवंटित हो चुकी थी और उक्त आवंटन आदेश को निरस्त किये बिना ही विवादित आराजी खसरा नम्बर 36 एवं 37 पर वादी को खातेदार घोषित कर दिया । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, बयाना द्वारा विधि–विरूद्ध रूप से निर्णय पारित किया गया है और ऐसे विधि–विरूद्ध पारित निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में मियाद का बिन्दु गौण हो जाता है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होता है तथा उक्त निर्णय की पुष्टि किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

13– परिणामतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–07–2017 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड लौटाया जावे।

फोटो प्रति प्रमाणित
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)
सदस्य

COMPARED BY

Scanned with ACE Scanner